न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :— 02/2021

कैलाश चन्द पुत्र मूलचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम बनार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

प्रथम राजस्व अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटपूतली बाबत नामान्तरकरण संख्या 645 दिनांक 06/8/2020 ग्राम बनार आराजी ख.नं. 653/0.31, 655/0.28 वाके मौजा बनार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 18-2-2021

अपीलान्ट ने जरिये वकील तहसीलदार कोटपूतली द्वारा स्वीकार नामा.सं. 645 दिनांक 06/8/2020 ग्राम बनार आराजी खसरा नम्बर 653/0.31, 655/0.28 वाके मौजा बनार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) के विरूद्व अपील पेश की है जिसमें अपीलान्ट उक्त अपील में निम्नप्रकार तथ्य पेश किये हैं :—

1. यह है कि आराजी ख.नं. 540/0.10, 610/0.01, 653/0.31, 655/0.28, 654/0.28, 551/0.01, 552/0.15, 553/0.01, 387/0.04, 652/0.07, 41/0.21, 189/0.18, 408/0.52, 490/0.43, 490/732/0.39, 546/0.14, 547/0.51, 605/0.33, 606/0.31, 607/0.42, 773/648/0.26, 777/651/0.65 वाके मौजा बनार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) में स्थित है।
2. यह है कि उक्त आराजी की पूर्व खातेदार मिश्री देवी पत्नी स्व. मूलचन्द माया देवी सन्तोष देवी कमोद देवी पुत्रियां स्व. मूलचन्द जाति अहीर निवासी बनार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में उपरोक्त वर्णित आराजीयात् में से मुताबिक जमाबंदी अपने सम्पूर्ण हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 03/7/2020 को अपीलान्ट एवं उसके भाईयों रामसिंह विरेन्द्रसिंह के हक में हकत्याग कर दिया था तथा हकत्याग के रोज से अपीलान्ट व उसके भाई आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं।
3. यह है कि अपीलान्ट व उसके भाईयों रामसिंह विरेन्द्रसिंह ने हक त्याग पत्र की नकल पटवारी हल्का को दे दी थी तथा अपीलान्ट एवं उसके भाईयों रामसिंह व विरेन्द्रसिंह के नाम हक त्याग पत्र के आधार पर नामा.सं. 645 दिनांक 6/8/2020 को खोल दिया गया लेकिन ख.नं. 653/0.31, 655/0.28 वाके मौजा बनार में अपीलान्ट के नाम ना. खुलने से रह गया।
4. यह है कि अपीलान्ट ने हाल जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को पता चला कि राजस्व कर्मचारियों ने अपीलान्ट के नाम खसरा नम्बर 653/0.31 व 655/0.26 वाके मौजा बनार में नामा. नहीं खोला है, जिस पर अपीलान्ट ने तहसीलदार कोटपूतली को ख.नं. 653/0.31, 655/0.28 वाके मौजाबनार में अपीलान्ट के हक में नामा. खोलने हेतु कहा तो तहसीलदार कोटपूतली ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा इसलिए श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जा रही है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

5. यह है कि अपीलान्ट को नामा.सं. 645 दिनांक 06/8/2020 के बाबत पहले कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट ने गत सप्ताह नकल निकलवायी जो अपीलान्ट को नामा.सं. 645 दिनांक 06/8/2020 के बाबत जानकारी हुयी। अतः जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी अपील पेश करने में हुयी देरी माफी हेतु अलग से प्रार्थना-पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम अपील के साथ संलग्न है।
6. यह है कि अपील श्रीमान् को तैय करने एवं सुनने का अधिकार है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश कर निवेदन है कि नामा.सं. 645 दिनांक 06/8/2020 ग्राम बनार तहसील कोटपूतली की खारिज फरमाया जाकर आराजी ख.नं. 653/0.31, 655/0.28 वाके मौजा बनार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 03/7/2020 के आधार पर प्रार्थी के नाम नामा. खोले जाने के आदेश प्रदान करें।
7. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये बाद तामील सम्मन नोटिस प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किया गया।
8. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी ख.नं. 540/0.10, 610/0.01, 653/0.31, 655/0.28, 654/0.28, 551/0.01, 552/0.15, 553/0.01, 387/0.04, 652/0.07, 41/0.21, 189/0.18, 408/0.52, 490/0.43, 490/732/0.39, 546/0.14, 547/0.51, 605/0.33, 606/0.31, 607/0.42, 773/648/0.26, 777/651/0.65 वाके मौजा बनार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के पूर्व खातेदार मिश्री देवी पत्नी मूलचन्द माया देवी सन्तोष देवी कमोद देवी पुत्रियां स्व. मूलचन्द जाति अहिर निवासी बनार तहसील कोटपूतली द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात् में से मुताबिक जमाबंदी अपने सम्पूर्ण हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 03/7/2020 को अपीलान्ट एवं उसके भाईयों रामसिंह विरेन्द्रसिंह के हक में हकत्याग कर दिया था तथा हक त्याग के रोज से अपीलान्ट व उसके भाई उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलान्ट एवं उनके भाईयों द्वारा हक त्याग की नकल पटवारी को दिये जाने के उपरान्त उसके आधार पर नामा.सं. 645 दिनांक 06/8/2020 को खोल दिया गया, लेकिन ख.नं. 653/0.31, 655/0.28 वाके मौजा बनार में अपीलान्ट का नाम उक्त नामान्तरकरण के खुलने से रह गया। अपीलान्ट को नामा.सं. 645 दिनांक 06/8/2020 को पहले कोई जानकारी नहीं थी। गत सप्ताह नकल निकलवायी गयी तब उक्त नामा. की जानकारी हुयी है। जानकारी प्राप्त होते ही श्रीमान् न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर निवेदन है कि नामा. सं. 645 दिनांक 06/8/2020 वाके ग्राम बनार तहसील कोटपूतली खारिज करवाया जाकर आ.ख.नं. 653/0.31, 655/0.28 वाके मौजा बनार तहसील कोटपूतली में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 03/7/2020 के आधार पर प्रार्थी के नाम नामा. खोले जाने के आदेश प्रदान करें ।
9. बहस पैरोकार सुनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन है कि नामा.सं. 645 दिनांक 04/8/2020 वाके ग्राम बनार तहसील कोटपूतली का नामा. पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक हकत्याग पत्र के अनुसार दर्ज किया है जिसकी भू.अ. निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 06/8/2020 को दर्ज किया है। मुताबकि हक त्याग पत्र से अपीलान्ट का नाम उक्त नामा. में नामान्तकरण दर्ज होने मे छूट गया है तो उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।
10. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य एवं सबूतों तथा पत्रावली में संलग्न हकत्याग पत्र दिनांक 03/7/2020 का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि मुताबिक हकत्याग पत्र दिनांक 03/7/2020 के द्वारा अपीलान्ट एवं उसके भाईयों के पक्ष में होना पाया जाता है। अपील में वर्णित आराजी खसरा नम्बर वाके मौजा बनार तहसील कोटपूतली के पूर्व खातेदार मिश्री देवी पत्नी मूलचन्द माया देवी सन्तोष देवी कमोद देवी पुत्रीयां स्व. मूलचन्द जाति अहिर निवासी बनार तहसील कोटपूतली द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 03/7/2020 को अपीलान्ट एवं उसके भाईयों रामसिंह विरेन्द्रसिंह के पक्ष में किया है। मुताबिक हकत्याग पत्र

अति. जिला कलक्टर

से नामा.सं. 645 वाके ग्राम बनार तहसील कोटपूतली दर्ज हुआ है किन्तु पटवारी हल्का द्वारा नामा.सं. 645 वाके बनार दर्ज करते समय आ.ख.नं. 653/0.31, 655/0.28 वाके मौजा बनार में अपीलान्ट का नाम उक्त नामान्तरकरण में दर्ज होना छुट गया, जबकि मुताबिक हकत्याग पत्र से हिस्से अनुसार भूमि दर्ज होकर अपीलान्ट का नाम उक्त नामा.सं. 645 वाके मौजा बनार में दर्ज होना चाहिए था । उक्त नामा.सं. 645 के अवलोकन से खाता संख्या 166 पर काश्तकार के नाम पर रामसिंह पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/24 व विरेन्द्र सिंह पुत्र मुलचन्द हिस्सा 1/24 जाति अहिर सा. देह खातेदार बदस्तूर काश्तकार अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का नाम नामा.सं. 645 के खाता संख्या 166 के आ.ख.नं. 653 व 655 में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं हुआ है जबकि मुताबिक हकत्याग पत्र से अपीन्ट का नाम व अपीलान्ट का हिस्सा दर्ज होना चाहिए था इसलिए अपीलान्ट का नाम व उनका हिस्सा उक्त नामा. में दर्ज होना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है तथा अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार कोटपूतली को ग्राम बनार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के नामा.सं. 645 स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 06/8/2020 के खाता संख्या 166 बाबत आराजी ख.नं. 653/0.31, 655/0.28 वाके मौजा बनार में मुताबिक जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 03/7/2020 के आधार पर अपीलान्ट का नाम व हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। पालनार्थ हेतु तहसीलदार कोटपूतली को तहरीर जारी हों।

12. यह निर्णय आज दिनांक 18.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)